



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक : प.5(1)कार्मिक/क-1/ 2023

जयपुर, दिनांक : 15-12-2023

आज्ञा

निम्नांकित भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के अस्थायी तोर पर पदस्थापन राज्यहित में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैं:-

| क्रसं | अधिकारी का नाम | वर्तमान पद | अस्थायी कार्यभार |
|-------|-------------------|--|--|
| 1 | श्री टी. रविकान्त | प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर | प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर |
| 2 | श्रीमती आनन्दी | शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर | सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर |
| 3 | डॉ. सौम्या झा | मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आरजीएवीपी), जयपुर | संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर |

ये अपने वर्तमान पद का कार्य यथावत सम्पादित करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अक्षय गोदर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
- 6 अनुसंधान अधिकारी, (केरियर मैनेजमेंट) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कमरा नं. 215, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
- 8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
- 9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
- 11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
- 12 संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय से कार्यमुक्त होने वाले अधिकारीगण के गत भुगतान प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति एवं उपरोक्त पद हेतु उन्हें भुगतान किए गए वेतन के आधार पर सेवा सत्यापन की सूचना (प्रपत्र GA-141 में) इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 2 मुख्य आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।


संयुक्त शासन सचिव